भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3349
दिनांक 07 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए

वन स्टॉप केंद्रों का कार्यान्वयन

3349. **श्री दर्शन सिंह चौधरीः**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत संचालित वन स्टॉप केंद्रों (ओएससी), महिला हेल्पलाइनों और अन्य सहायता सेवाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई है, यदि हां, तो पिछले कुछ वर्षों के दौरान होशंगाबाद-नरसिंहपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इन सेवाओं से लाभान्वित महिलाओं की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय द्वारा महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के उपायों की प्रभावशीलता तथा विभिन्न विभागों के बीच स्थापित समन्वय तंत्र की समीक्षा की गई है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को ऐसे किसी मामले की जानकारी है जिसमें वन स्टॉप केंद्रों (ओएससी) के माध्यम से समझौता हो जाने के बाद भी महिलाओं को पुनः घरेलू हिंसा/उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या ऐसे आदतन अपराधियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई, विशेष निगरानी, पीड़िता की सुरक्षा तथा पुनरावृत्ति की रोकथाम के लिए कोई विशेष प्रावधान/नीति विद्यमान है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): सरकार देश में महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा, पुनर्वास तथा सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सरकार ने महिलाओं की शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सशक्तिकरण संबंधी आवश्यकताओं का उनके जीवन-चक्र की निरंतरता के

आधार पर समाधान करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, ताकि वे तीव्र गति एवं सतत राष्ट्रीय विकास में समान भागीदार बन सकें। 'महिला-नेतृत्व वाले विकास' की यह परिकल्पना वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है।

मिशन शक्ति का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा तथा सशक्तिकरण के लिए किए जाने वाले कार्यकलापों को सुदृढ़ करना है। मिशन शक्ति के अंतर्गत दो वर्टिकल अर्थात - देशभर में महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए 'संबल' तथा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 'सामर्थ्य' हैं।

वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), मिशन शक्ति के अंतर्गत 'संबल' वर्टिकल का एक घटक है। यह हिंसा से प्रभावित तथा संकटग्रस्त महिलाओं को, निजी एवं सार्वजनिक दोनों स्थानों पर, एक ही छत के नीचे समेकित एवं तत्काल सहायता तथा सहयोग प्रदान करता है। इसके अंतर्गत देशभर की जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता एवं परामर्श, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता तथा मनोसामाजिक परामर्श जैसी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। योजना के प्रारंभ, अर्थात् 1 अप्रैल, 2015 से 30 जून, 2026 तक देशभर में 991 वन स्टॉप सेंटर कार्यशील किए जा चुके हैं तथा इन ओएससी के माध्यम से 15.20 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है। वर्तमान में, मध्य प्रदेश राज्य में 63 वन स्टॉप सेंटर कार्यशील हैं, जिनमें होशंगाबाद–नरसिंहपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के नर्मदापुरम, नरसिंहपुर तथा रायसेन जिलों में एक-एक ओएससी शामिल हैं। योजना के प्रारंभ से अब तक राज्य में 1.65 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है।

महिला हेल्पलाइन (181) भी मिशन शक्ति के अंतर्गत 'संबल' वर्टिकल का एक घटक है। महिला हेल्पलाइन (181) आपातकालीन तथा गैर-आपातकालीन दोनों परिस्थितियों में महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए 24 घंटे निःशुल्क दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराती है। योजना के प्रारंभ से 30 जून, 2026 तक देशभर में 1.04 करोड़ से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है, जिनमें से 3.83 लाख महिलाएं मध्य प्रदेश की हैं।

सहायता सेवाओं तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने तथा तालमेल को सुदृढ़ करने के लिए, वन स्टॉप सेंटरों को महिला हेल्पलाइन के साथ एकीकृत किया गया है और अब तक 661 ओएससी का एकीकरण किया जा चुका है। इस एकीकरण के माध्यम से महिलाओं को समयबद्ध तथा समन्वित तरीके से उपयुक्त सेवाओं के लिए रेफर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस-112), चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) तथा अन्य संबंधित सेवा प्रदायगी तंत्रों के साथ भी महिला

हेल्पलाइन का एकीकरण किया गया है। इसके अलावा, दीर्घकालिक संस्थागत सहायता, पुनर्वास तथा सुरक्षित आवास की आवश्यकता वाली महिलाओं को रेफर करने के उद्देश्य से वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) को शक्ति सदन के साथ भी एकीकृत किया गया है, जिससे मिशन शक्ति के अंतर्गत देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके।

मिशन शक्ति एक केंद्र प्रायोजित योजना है तथा इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। देशभर में मिशन शक्ति योजना के सुचारु संचालन के लिए पर्याप्त कार्मिक एवं अवसंरचनात्मक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा वर्ष में एक बार राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के साथ योजना के अंतर्गत संचालित गतिविधियों की प्रगति की निगरानी की जाती है तथा उद्देश्यों की प्राप्ति की स्थिति और महिलाओं एवं बच्चों को सेवाओं के प्रभावी प्रदायगी की समीक्षा की जाती है। इसके अलावा, मंत्रालय के अधिकारी समय-समय पर बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से योजना की निरंतर समीक्षा करते हैं। मंत्रालय ने मिशन शक्ति डैशबोर्ड भी विकसित किया गया है, जो जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर मिशन शक्ति के अंतर्गत संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन की तत्समय (रियल टाइम) में निगरानी की सुविधा प्रदान करता है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम, 2015) के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। यह अधिनियम बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा, गरिमा तथा कल्याण सुनिश्चित करने हेतु प्रमुख कानून है और इसका कार्यान्वयन सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य एवं जिला स्तर पर कानूनी संरचनाओं का गठन किया गया है, जिनमें राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, बाल कल्याण समितियां, किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) तथा जिला बाल संरक्षण इकाइयां शामिल हैं। इस अधिनियम में बाल देखभाल संस्थाओं (सीसीआई) की स्थापना का भी प्रावधान है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों को विभिन्न सेवाएं देने के लिए सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य पूर्व-निर्धारित लागत-साझेदारी के आधार पर 'मिशन वात्सल्य' नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। यह योजना संस्थागत देखभाल तथा गैर-संस्थागत देखभाल प्रदान करती है। मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत स्थापित बाल देखभाल संस्थाएं (सीसीआई) अन्य सुविधाओं के साथ-साथ आयु उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल तथा परामर्श आदि की सुविधाएं प्रदान करती हैं। गैर-संस्थागत

देखभाल सेवा के अंतर्गत प्रायोजन, पालक देखभाल, दत्तक ग्रहण तथा पश्चात् देखरेख सहायता प्रदान की जाती है।

यह योजना कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन-1098 (24×7×365) के रूप में आपातकालीन संपर्क सेवाएं भी प्रदान करती है, जिसे गृह मंत्रालय की आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली-112 (ईआरएसएस-112) हेल्पलाइन के साथ जोड़ा गया है।

इस मंत्रालय ने राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श एवं समन्वय से एकीकृत मिशन वात्सल्य पोर्टल विकसित किया गया है। लापता/पाए गए बच्चों के लिए ट्रैकचाइल्ड पोर्टल तथा लापता/देखे गए बच्चों के लिए खोया-पाया एप्लीकेशन का इस एकीकृत मिशन वात्सल्य पोर्टल के साथ एकीकरण किया गया है। ट्रैकचाइल्ड पोर्टल का कार्यान्वयन गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आदि विभिन्न हितधारकों के सहयोग एवं सहभागिता से किया जाता है। इस संबंध में मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है। इसके अतिरिक्त, इसका एकीकरण गृह मंत्रालय की अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली (सीसीटीएनएस) के साथ भी किया गया है, जिससे संबंधित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की पुलिस द्वारा लापता बच्चों की एफआईआर का ट्रैकचाइल्ड के डेटाबेस से मिलान करके लापता बच्चों का पता लगाने तथा उनकी पहचान सुनिश्चित करने में आसानी होती है। इसके अलावा, खोया-पाया मॉड्यूल के माध्यम से कोई भी नागरिक किसी लापता अथवा देखे गए बच्चे के संबंध में सूचना दे सकता है।

बच्चों के प्रति अपराधों के संबंध में गृह मंत्रालय ने अनेक कदम उठाए गए हैं। हालिया वर्षों में, दिनांक 1.7.2024 से प्रभावी नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) में भी बच्चों के विरुद्ध अपराधों से निपटने के लिए अनेक कानूनी प्रावधान किए गए हैं। बच्चों के प्रति अपराधों के संबंध में गृह मंत्रालय ने समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्तियों, रूप से महिलाओं एवं बच्चों के दुर्व्यापार के विरुद्ध कानून प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए गृह मंत्रालय ने समय-समय पर विभिन्न प्रयास एवं उपाय किए गए हैं। ऐसा ही एक प्रयास के अंतर्गत देशभर में प्रत्येक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के प्रत्येक जिले में मानव दुर्व्यापार रोधी इकाई (एएचटीयू) की स्थापना की गई है। सीमा की रक्षा करने वाले बलों अर्थात बीएसएफ,

एसएसबी तथा रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के साथ मिलकर मौजूदा एएचटीयू को मजबूत करने और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जिलों में नए एएचटीयू बनाने का काम किया जा रहा है। एएचटीयू व्यक्तियों के दुर्व्यापार की रोकथाम एवं उससे निपटने के लिए गठित एकीकृत कार्यबल हैं, जिनमें पुलिस, महिला एवं बाल कल्याण विभाग तथा राज्यों के अन्य संबंधित विभागों के प्रशिक्षित एवं संवेदनशील अधिकारियों का समूह शामिल होता है।

बच्चों के प्रति अपराध की रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय द्वारा की गई अन्य पहलें निम्नलिखित हैं:

(i) भारत सरकार द्वारा क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर (क्रि-मैक) नामक राष्ट्रीय स्तर का संचार मंच स्थापित किया गया है, जो मानव दुर्व्यापार के मामलों सहित महत्वपूर्ण अपराधों से संबंधित सूचनाओं का देशभर में तत्समय (रियलटाइम) प्रसार करता है तथा पुलिस अधिकारियों के बीच अंतर-राज्यीय समन्वय को सुदृढ़ करता है।
(ii) गृह मंत्रालय की पहल के अंतर्गत, राष्ट्रीय मानव दुर्व्यापार अपराधी डेटाबेस (एनडीएचटीओ) रखा जाता है, ताकि कानून प्रवर्तन एजेंसियां तस्करों के प्रोफाइल की खोज कर सकें, जिसमें अपराध संबंधी पृष्ठभूमि, व्यक्तिगत विवरण आदि उपलब्ध होता है। तस्करों के संबंध में उपलब्ध आंकड़ों की खोज से ऐसे अपराधों की रोकथाम/पता लगाने में सहायता मिलती है।
(iii) अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली (सीसीटीएनएस): अपराधों एवं अपराधियों से संबंधित सूचनाओं की राष्ट्रीय स्तर पर संग्रहीत एवं साझा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पुलिस को एक समान मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय ने वर्ष 2009 में सीसीटीएनएस परियोजना का कार्यान्वयन प्रारंभ किया। सीसीटीएनएस सभी पुलिस थानों तथा उच्चतर पुलिस कार्यालयों को एक साझा डिजिटल मंच से जोड़ता है, ताकि अपराधों एवं अपराधियों से संबंधित सूचनाओं को संगृहीत एवं साझा किया जा सके, जिससे आपराधिक जांच समय पर एवं प्रभावी ढंग से बहुत सहायता मिलती है तथा अपराध विश्लेषण एवं अनुसंधान के प्रयोजन के लिए इस डेटाबेस के उपयोग में सुगमता रहती है।
(iv) राष्ट्रीय यौन अपराधी डेटाबेस (एनडीएसओ): यह ज्ञात एवं आदतन यौन अपराधियों की पहचान के माध्यम से देशभर में यौन अपराधियों की जांच एवं ट्रैकिंग को सुगम बनाता है, ताकि विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध एवं हिंसा को कम किया जा सके।

(v) यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली (आईटीएसएसओ): यह 'यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली' नामक एक ऑनलाइन विश्लेषणात्मक उपकरण है, जिसका उपयोग आपराधिक कानूनों के अनुसार, यौन उत्पीड़न के मामलों में समयबद्ध जांच की निगरानी एवं ट्रैकिंग के लिए किया जाता है।

(vi) आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस): इससे एकल आपातकालीन नंबर (112) के माध्यम से संकटग्रस्त स्थान पर फील्ड रिसोर्सेस को कंप्यूटर की सहायता से भेजा जाता है तथा इसे 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए 112 इंडिया मोबाइल ऐप भी प्रारंभ किया गया है, जिसमें संकट की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया के लिए निकटतम स्वयंसेवकों, पूर्व-पंजीकृत आपातकालीन संपर्क सूत्रों तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आपातकालीन संकेत भेजने की सुविधा है।

(vii) साइबर अपराध: सरकार ने साइबर अपराधों से व्यापक एवं समन्वित तरीके से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एक रूपरेखा एवं प्रणाली तंत्र उपलब्ध कराने हेतु भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) की स्थापना की है। सरकार ने सभी प्रकार के साइबर अपराधों की सूचना देने के लिए, विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराधों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) प्रारंभ किया है। इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की क्षमता निर्माण के लिए 'महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी) योजना' के अंतर्गत वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ मिलकर लाभार्थियों की बढ़ती मांग, दृश्यता तथा उन्हें समय पर सहायता उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है।
